आर्मी स्टिकर चिपकाकर नक्सली इलाके से लाए नशे का सामान

दोनों वाहनों को जब्त कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया, चावल के बिल पर तस्करी कर लाए

जयपुर, 7 फरवरी (का.सं.)। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (त्नङ्गस्न) ने 15 करोड़ का डोडा-चूरा पकड़ा है। जो चावल के बिल पर कंटेनर में 1300 किलोमीटर दूर झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाके से तस्करी कर लाया जा रहा था। इनोवा गाड़ी से एस्कॉर्ट कर कंटेनर में भरे 7003 किलो अफीम-डोडा चूरा को तस्करी कर जोधपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस से बचने के लिए वाहनों पर ऑन ड्यूटी आर्मी का स्टिकर चिपका रखा था। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर तीन तस्करों को अरेस्ट किया है। एडीजी **(AGTF)** दिनेश एमएन ने बताया- डोडा-चूरा तस्करी में आरोपी हेमराज उर्फ बबलू (47) पुत्र राधाकिशन बैरवा निवासी प्रकाश नगर नीलगंगा उज्जैन मध्यप्रदेश, सोनू निशाद (35) पुत्र मांगीलाल बलाई और मनोज सिंह (32) पुत्र भगवान दास बैरवा निवासी अन्ना नगर गोविन्दपुरा भोपाल मध्यप्रदेश को अरेस्ट किया गया है। **AGTF** को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि 1300 किलोमीटर दूर झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से कुछ तस्कर राजस्थान के पश्चिमी जिलों में मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के 50वें स्थापना दिवस समारोह का हुआ शुभारंभ

आज आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री, भारत सरकार श्री प्रताप राव जाधव, सांसद श्रीमती मंजू शर्मा सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में होगा आयोजन

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर, 7 फरवरी (का.सं.)। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानक विश्वविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर 7 फरवरी शुक्रवार को विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। 50वें स्थापना दिवस पर आयुष सचिव भारत सरकार वैद्य राजेश कोटेचा, उप महानिदेशक आयुष मंत्रालय भारत सरकार श्री सत्यजीत पॉल, कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान प्रो. संजीव शर्मा ने भगवान धन्वंतरि का पूजन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

50वें स्थापना दिवस के अवसर पर 8 फरवरी, शनिवार को संस्थान के सभागार भवन में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के 14 विभागों द्वारा किए किए जा रहे चिकित्सा एवं शोध कार्यों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार श्री प्रताप राव जाधव, जयपुर सांसद श्रीमती मंजू शर्मा, हवा महल विधायक श्री बालमुकुन्दाचार्य महाराज, आयुष सचिव भारत सरकार वैद्य राजेश कोटेचा, उप महानिदेशक आयुष मंत्रालय भारत सरकार श्री सत्यजीत पॉल, कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान प्रो. संजीव शर्मा के साथ अन्य विशिष्ट अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में होगा।

संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर आयुष सचिव और कुलपति ने दी संस्थान के सभी चिकित्सकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। स्थापना दिवस के अवसर पर आमजन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के अस्पताल परिसर में 8 फरवरी शनिवार को सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक कैंसर की निशुल्क जांच एवं जागरूकता शिविर भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के सहयोग से किया जाएगा। शिविर में आमजन की कैंसर स्क्रीनिंग के लिए विभिन्न प्रकार की निशुल्क जांच करने के साथ कैंसर रोग के लक्षण, बचाव एवं रोग से संबंधित जानकारी कैंसर विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सको द्वारा आमजन को दी जाएगी। निशुल्क शिविर में कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए स्तन जांच के लिए मेमोग्राफी, गर्भाशय जांच के लिए पेप स्मीयर टेस्ट, फेफड़ों की जांच के लिए एक्स रे, ओवरी जांच के लिए सीए 125, प्रोस्टेट की जांच के लिए पीएसए के साथ कई प्रकार की रक्त से जुड़ी जांच निशुल्क की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने चूरू जिले को सर्वेश्रेष्ठ जिला अवॉर्ड से किया सम्मानित

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर/चूरू, 7 फरवरी (राजेन्द्रसिंह शेखावत)। अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय सामान समारोह में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, विशिष्ट अतिथि भारतीय प्रशासनिक अधिकारी डॉ. समित शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने उत्कर्ष कार्य करने पर चूरू महासभा जिला अध्यक्ष नीरज जांगिड़ को सर्वेश्रेष्ठ जिला अवॉर्ड 2024 से सम्मानित किया है।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि उत्कर्ष कार्य करने वालों का हमेशा सम्मान होता है। इसी तरह चूरू जिला अध्यक्ष नीरज जांगिड़ को प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ जिला अवॉर्ड से सम्मानित किया जा रहा है जिससे प्रोत्साहित होकर नीरज जांगिड़ एवं पूरा चूरू जिला और अच्छा समाज सेवा का कार्य करेगा। दिया कुमारी ने कहा कि जांगिड़ समाज जागरूक होने के साथ ही तकनीकी में श्रेष्ठ और स्वाभिमानी समाज है। विशिष्ट अतिथि भारतीय प्रशासनिक अधिकारी डॉ. समित शर्मा ने कहा कि युवाओं को अपना लक्ष्य बनाकर पूरी लग्न के साथ अध्ययन करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ जिला अवॉर्ड से सम्मानित होने वाले चूरू के नीरज जांगिड़ से अन्य युवाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यकर्म में प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम शर्मा (पंवार) ने बताया कि 90 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी,खिलाडियों, कलाकारों व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजबंधुओं सहित समाज की लगभग 400 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जीएसटी अधीक्षक प्रेम चंद जांगिड़, भाजपा प्रदेश मंत्री अजित मांडण, कार्यकारी अध्यक्ष गजानंद जांगिड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बी सी शर्मा, राहुल शर्मा, रामजीलाल जांगिड़ तथा महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रेणु जांगिड़ आदि मंच पर उपस्थित रहे। चूरू से महासभा जिला अध्यक्ष नीरज जांगिड़, महामंत्री बुद्धरमल सिल्क, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश राजोतिया, जिला उपाध्यक्ष हरिकिशन जांगिड़, जिला मंत्री उम्मेद कुमार रोलीवाल, पूर्व अध्यक्ष गिरधारीलाल राजोतिया, भंवरलाल चोयल आदि ने जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष नीरज जांगिड़ ने प्रदेश सभा राजस्थान का आभार व्यक्त किया। चूरू को प्रदेश स्तरीय सर्वश्रेष्ठ जिला अवॉर्ड 2024 मिलने पर प्रदेश उपाध्यक्ष लीलाधर राजोतिया, भाजपा जिला अध्यक्ष बसन्त जांगिड़, संरक्षक श्रीप्रकाश राजोतिया, नरोत्तमलाल जांगिड़, मंदिर अध्यक्ष झूमरमल राजोतिया, तहसील अध्यक्ष हनुमान प्रसाद सिल्क, बैजूराम राजोतिया, सुनील कुमार, महावीर प्रसाद, विनोद कुमार, दलीप कुमार जांगिड़, प्रहलादराय, महावीर प्रसाद, डॉ अशोक कुमार, बजरंग लाल, शंकर लाल जांगिड़, दीपक धामू, रामलाल रोलीवाल, जिला राजनीतिक अध्यक्ष सुभाष जांगिड़, युवा अध्यक्ष मनीष जांगिड़, महिला अध्यक्ष पूजा जांगिड़, विष्णु कुमार जांगिड़, लालचंद, डॉ विकाश, जगदीश प्रसाद रोलीवाल, आनंद कुमार, हनुमान प्रसाद पंवार, नरेश कुमार जांगिड़, सुभाष जांगिड़ आदि ने खुशी का इजहार किया है।

गिव अप अभियान में अब तक जिले में 18 हजार लोगों ने किया लाभ परित्याग

28 फरवरी तक स्वेच्छा से हटाएं नाम, वरना अपात्र लाभार्थियों के विरुद्ध चलेगा अभियान

बीकानेर, 7 फरवरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र परिवारों का स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत जिले में अब तक लगभग 18 हजार लोगों ने स्वेच्छा से लाभ परित्याग किया है।

जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आमजन में जागरूकता बढ़ने से योजना से जुड़े सक्षम व्यक्ति अपना नाम हटाने के लिए आगे आ रहे हैं। रसद कार्यालय में रोज ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त किया जा रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस 'गिव अप अभियान' के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में शामिल लाभार्थी स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में शामिल ऐसे सक्षम लाभार्थियों को चेतावनी दी गई हैं। ऐसे अपात्र परिवारों को 28 फरवरी 2025 तक स्वेच्छा से नाम हटवाने का मौका दिया जा रहा है। उसके बाद अपात्र लोगों के विरूद्ध राशि वसूली एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का असल उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान करना है। गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उचित एवं वहनीय कीमत पर उपलब्ध करवाकर खाद्यान्नों तक निर्धन परिवारों की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया गया था।

शंख की ध्वनि और जयकारों के साथ बीकानेर से दिल्ली के लिए इंडिगो की नियमित उड़ान शुरू

बीकानेर, 7 फरवरी। बीकानेर से दिल्ली के लिए इंडिगो की पहली नियमित फ्लाइट सेवा शुक्रवार को शुरू हुई। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल तथा केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने नाल के सिविल हवाई अड्डा परिसर से हरी झंडी दिखाकर पहली फ्लाइट को रवाना किया। श्री मेघवाल और श्री मोहोल ने इस फ्लाइट में बीकानेर से दिल्ली जाने वाले पहले हवाई यात्री डॉ. पुष्कर भटेजा को बोर्डिंग पास प्रदान किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने शंख की पावन ध्वनि के साथ लोक देवी-देवताओं के जयकारे लगाए।

इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि बीकानेर से दिल्ली की नियमित उड़ान बीकानेर के विकास के लिए %माइलस्टोन% साबित होगी। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश की हवाई सेवा में इंडिगो बड़ा भागीदार है। इसकी सेवाएं बीकानेर में शुरू होना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि बीकानेर के हवाई यात्रियों को दिल्ली जाने के बाद देश और दुनिया के किसी क्षेत्र में जाने की कनेक्टिविटी मिल सकेगी। आगामी दिनों में यात्री भार उपलब्ध की उपलब्धता के अनुसार इंडिगो द्वारा अन्य बड़े शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू की जा सकेगी। केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि बीकानेर में सोलर क्षेत्र में लगभग पचास हजार करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। यहां सिरेमिक और फर्टिलाइजर क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में यहां से दिल्ली के लिए नियमित उड़ान की मांग लंबे समय से थी।

शिवसेना-उबाठा का साथ नहीं छोड़ेंगे: पार्टी सांसद

नई दिल्ली, 07 फरवरी (वेब वार्ता)। शिवसेना (उबाठा) के आठ सांसदों ने शुक्रवार को कहा कि वे पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। सांसदों ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के उन दावों को खारिज कर दिया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी से बड़ी संख्या में सांसद पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं।

महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने दावा किया था कि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के कई मौजूदा और पूर्व विधायक तथा छह सांसद शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे हैं। शिवसेना (उबाठा) के लोकसभा सदस्यों - अरविंद सावंत, अनिल देसाई, ओमराजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, राजाभाऊ वाजे, संजय जाधव, नागेश अष्टीकर और संजय देशमुख ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जताने के लिए शुक्रवार को संयुक्त प्रेस वार्ता की।

भारत ईयू के नए व्यापार नियमों से जुड़े मुद्दों के हल के लिए बातचीत कर रहा: गोयल

नई दिल्ली, 07 फरवरी (वेब वार्ता)। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि भारत यूरोपीय संघ (ईयू) के नए व्यापार नियमों से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए उसके साथ बातचीत कर रहा है।

उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान गोयल यूरोपीय संघ से जुड़े व्यापार अवरोधों को लेकर पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। गोयल ने कहा कि यूरोपीय संघ ने अपने उद्योगों के लिए नए नियम बनाए हैं। उन्होंने कहा, ''निश्चित रूप से एक मुद्दा है जिसमें यूरोपीय संघ ने नए नियम बनाए हैं, जिन्हें हल करने के लिए हम उनके साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रही है।

उन्होंने कहा, ''हमें उनके साथ बातचीत करनी होगी और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए परस्पर समाधान निकालना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि इससे हमारे उद्योग को नुकसान

नहीं हो। गोयल ने कहा कि यदि अनुचित व्यापार अवरोध लगाए जाते हैं, तो सरकार द्विपक्षीय चर्चाओं और बहुपक्षीय व्यापार संगठनों के जरिए इस मामले को मजबूती से उठाएगी। यह पूछे जाने पर कि क्या कड़े नियमों के मद्देनजर भारत ने पारस्परिक रूप से सहमत समझौतों के बारे में यूरोपीय संघ के साथ कोई बातचीत शुरू की है, गोयल ने कहा कि इस पर तीन सप्ताह पहले चर्चा हुई थी।

उन्होंने कहा, ''यदि यूरोपीय संघ हमारे उत्पादों के प्रमाणन के लिए संबंधित भारतीय प्रयोगशालाओं को मंजूरी देता है, तो हम वहां कुछ प्रयोगशालाओं को नियुक्त करेंगे।'' यूरोपीय संघ में भारतीय गुणवत्ता प्रमाणन को मान्यता नहीं दिए जाने के बारे में मंत्री ने कहा कि यूरोपीय संघ और भारत दोनों ही अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मानक निर्धारित करते हैं। उन्होंने कहा, ''आज यूरोपीय संघ की कंपनियों को बीआईएस या एफएसएसएआई से प्रमाणन लेना पड़ता है, जिस प्रकार हमें उनके संगठन से प्रमाणन लेना पड़ता है।''

बरेली में मांझा बनाने की फैक्टरी में विस्फोट, तीन लोगों की मौत

बरेली (उप्र), 07 फरवरी (वेब वार्ता)। बरेली जिले में किला थाना क्षेत्र के बाकरगंज खड्ड इलाके में शुक्रवार को पतंग की डोर (मांझा) बनाने वाली एक फैक्टरी में हुए विस्फोट में फैक्टरी मालिक समेत तीन लोगों की मौत हो गयी।

पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि किला थाना क्षेत्र के बाकरगंज खड्ड इलाके में शुक्रवार पूर्वाह्न करीब 10 बजे पतंग की डोर बनाने वाली एक फैक्टरी में विस्फोट हो गया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में फैक्टरी मालिक अतीक रजा खान (45) और मजदूर फैजान (25) की मौके पर ही मौत हो गई।

गंभीर रूप से घायल सरताज की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि फैक्टरी में पतंग की डोर के लिए गंधक, पोटाश और कांच मिलाकर रसायन बनाया जा रहा था तभी विस्फोट हो गया।

आईवीएफ के जरिए दुनिया में पहली बार कंगारू का भ्रूण विकसित किया गया

नई दिल्ली, 07 फरवरी (वेब वार्ता)। वैज्ञानिकों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के जरिए दुनिया में पहली बार कंगारू का भ्रूण सफलतापूर्वक विकसित किया है, जिसको लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

'रिप्रोडक्टिव, फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट' पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मार्सुपियल के संरक्षण के लिए इस प्रजनन पद्धति का दस्तावेजीकरण किया है। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में पशु विज्ञान के एक वरिष्ठ व्याख्याता प्रमुख शोधकर्ता एंड्रेस गैम्बिनी ने कहा, ''हमारा लक्ष्य कोआला, तस्मानियन डेविल और लीडबीटर्स पोसम्स जैसी लुप्तप्राय मार्सुपियल प्रजातियों के संरक्षण का समर्थन करना है।'' उन्होंने कहा, ''इस तरह की संरक्षण पद्धतियों का विकास करके, हमारा उद्देश्य इन अद्वितीय और लुप्तप्राय जानवरों की आनुवंशिक सामग्री को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखना है।'' लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दुनिया भर में आईवीएफ की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। जनवरी 2024 में, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने दुनिया में पहली बार आईवीएफ के जरिये राइनो भ्रूण को विकसित किया था और उसे सरोगेट में प्रतिरोपित किया था। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि कंगारू के अंडे और शुक्राणुओं की प्रयोगशालाएं समय के साथ कैसे विकसित हुईं। गैम्बिनी ने बताया, 'चूंकि ईस्टर्न ग्रे कंगारू बहुतायत में हैं, इसलिए हमने उनके अंडों और शुक्राणुओं को एकत्रित किया, ताकि घरेलू पशुओं और मनुष्यों पर पहले से लागू भ्रूण प्रौद्योगिकियों को अनुकूलित करने के लिए एक मॉडल के रूप में उनका उपयोग किया जा सके।'

राज्यसभा: भाजपा सदस्य ने जंक फूड को हतोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त कर लगाने का दिया सुझाव

नई दिल्ली, 07 फरवरी (वेब वार्ता)। राज्यसभा के सदस्य सुजीत कुमार ने 'जंक फूड' के उपयोग में बेतहाशा वृद्धि का दावा करते हुए शुक्रवार को सरकार से संबंधित नियमों को और सख्त बनाने तथा लोगों को ऐसे खाद्य पदार्थों के प्रति हतोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त कर लगाने का आग्रह किया।

शून्यकाल के दौरान उच्च सदन में यह मुद्दा उठाते हुए ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य ने कहा कि 'जंक फूड' की खपत में वृद्धि को भारत में गैर-संचारी रोगों में वृद्धि से भी जोड़ा जा सकता है। 'जंक फूड' प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है जिसमें पोषक तत्व न के बराबर होते हैं, अक्सर इनमें नमक, चीनी और वसा की मात्रा अधिक होती है। विभिन्न शोधों में यह सामने आया है कि इनके उपयोग से वजन बढ़ता है, हृदय पर दबाव पड़ता है और हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कुमार ने कहा, ''जंक फूड की खपत में खतरनाक वृद्धि हुई है। इनमें नमक, चीनी, अस्वास्थ्यकर वसा उच्च मात्रा में होते हैं और ये न्यूनतम पोषण प्रदान करते हैं।'' उन्होंने 2023 की डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2006 और 2019 के बीच पैक्ड जंक फूड की खपत में 40 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, ''खराब जीवनशैली के साथ जंक फूड का अत्यधिक सेवन गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) में वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक है।'' कुमार ने आईसीएमआर की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एनसीडी से संबंधित मौतें '1990 में 37.9 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 61.8 प्रतिशत' हो गईं।

VASTU HOUSING FINANCE

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत पता: यूनिट नंबर-203 और 204, दूसरी मंजिल ए विंग नवभारत एस्टेट जकारिया बंदर मार्ग रोड सिवड़ी पश्चिम, मुंबई -400 015, भारत

शाखा का पता: कार्यालय क्रमांक 203, द्वितीय तल, फन स्क्वायर दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर, जिला- उदयपुर, राजस्थान-313001

निजी संधि के अंतर्गत अचल संपत्ति की बिक्री की सूचना

वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिए गए कब्जे के अनुसार निजी संधि के माध्यम से अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस सुरक्षित ऋणों की वसूली के लिए अधिनियम और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम''), जबकि, सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने एक जारी किया मांग नोटिस की तारीख, जिसमें उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि चुकाने और नोटिस में उल्लेखित अनुसार अपनी ऋण देनदारी को पूरा करने का आह्वान किया गया है।

चूंकि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर ऋण राशि चुकाने में विफल रहे, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा ले लिया है और नियम 8(5) में उल्लेखित तरीकों को अपनाकर उक्त सुरक्षित संपत्ति को बेचने के लिए आगे बढ़े हैं। नियमों के नियम 9 के साथ पढ़ें।

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त सुरक्षित को बेचने के लिए पहले ही नीलामी आयोजित की थी, लेकिन वह असफल रही। इस प्रकार, प्राधिकृत अधिकारी को अब उन क्रेताओं से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो नीचे दी गई तालिका में आरक्षित मूल्य के रूप में उल्लेखित मूल्य पर सुरक्षित संपत्ति खरीदने में रुचि रखते हैं। इसलिए, आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता को नोटिस दिया जाता है कि यदि उपरोक्त ऋण खाते में कुल बकाया राशि का भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर नहीं किया जाता है। वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में गिरवी रखी गई नीचे उल्लेखित सुरक्षित संपत्ति को **24.02.2025** तक ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पढ़े गए सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बकाया की वसूली के लिए ''निजी संधि'' के माध्यम से।

क्र सं.	ऋण खाता नंबर और शाखा	उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ता(ओं) कानूनी उत्तराधिकारी/ कानूनी प्रतिनिधि/ गारंटरओं का नाम	राशि अनुसार मांग सूचना और मांग सूचना की तारीख	आरक्षित मूल्य	अग्रिम धन	अचल संपत्ति का विवरण
1.	HL000000 0017521	राजेंद्र सिंह (उधारकर्ता), लक्ष्मी बाई (सह-उधारकर्ता), पर्वत सिंह (सह-उधारकर्ता), डिम्पल कुँवर (सह-उधारकर्ता)	रूपये 758296/- से 20-दिसम्बर-21 तक तारीख: 13-नवम्बर-2021	रु. 800000/- (आठ लाख रुपये मात्र)	रु. 80000/- (हस्सी हज़ार रूपये मात्र)	पट्टा संख्या 3618 ग्राम अभय सिंह जी खेड़ा ग्राम पंचायत बड़ारदा पंचायत समिति खेड़ा देवी मंदिर के पास राजसमंद राजस्थान 313324

उपर्युक्त उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1. बिक्री सख्ती से सरफेसी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। निजी संधि के तहत बिक्री ''जैसा है जहां है के आधार पर'' और ''जैसा है जो है के आधार पर'' होगी।
2. क्रेता को संपत्ति की खरीद के लिए वीएचएफसीएल के प्रस्ताव की स्वीकृति की प्राप्ति के अगले कार्य दिवस पर बिक्री प्रतिफल की बयाना राशि जमा करनी होगी और शेष राशि का भुगतान उसके बाद 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।
3. क्रेता को आवेदन के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा जिसे उपरोक्त खंड (2) के अनुसार जमा की गई बयाना राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
4. उपरोक्त खंड (2) के तहत आवश्यक राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि का 10% सहित पहले से भुगतान की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. वीएचएफसीएल द्वारा खरीद के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
6. संपत्ति वीएचएफसीएल को ज्ञात या अज्ञात सभी मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
7. क्रेता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित परिश्रम करना चाहिए। क्रेता इस संबंध में बाद की तारीख में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता के विरुद्ध कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।
8. वीएचएफसीएल बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. एक से अधिक प्रस्तावों के मामले में, यदि उच्चतम बोली लगाने वाला शेष राशि जमा करने में विफल रहता है, तो वीएचएफसीएल उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करेगा; तो वीएचएफसीएल दूसरे उच्चतम प्रस्ताव का अनुरोध और स्वीकार कर सकता है।
10. इच्छुक खरीदार सोमवार से शनिवार तक कार्य समय (सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक) के दौरान प्राधिकृत अधिकारी: श्री रवि प्रताप सिंह, मोबाइल नंबर: 9887146124 से संपर्क कर सकते हैं।
11. क्रेता को लागू टीडीएस, स्टांप शुल्क/अतिरिक्त स्टांप शुल्क/हस्तांतरण शुल्क आदि और किसी के कारण सभी वैधानिक/गैर-सांविधिक बकाया, कर, दरें, मूल्यांकन शुल्क, शुल्क आदि वहन करना होगा।
12. प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि **22.02.2025 सायं 05.00 बजे** तक होगी। प्रस्ताव शाखा कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं।

स्थान: राजस्थान | **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक- 08-02-2025 | **वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -4-क अचल सम्पत्ति,(यों) की ई-नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : - **9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली -110001 फोन : - 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com**
उदयपुर शाखा:-मेवाड़ मोटर बिल्डिंग, 48, द्वितीय तल, तोरण बावड़ी, स्टेशन रोड, उदयपुर, राजस्थान- 313001,**जयपुर शाखा**:-एसबी - 59, यूडीबी टावर्स, प्रथम तल, जयपुर नगर निगम के सामने, टोंक रोड, जयपुर-302015,**बीकानेर शाखा**:-पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बी-46-बी, द्वितीय तल, सादुल गंज, बीकानेर-334002

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर -ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर-डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर-सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर -ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यत